लोक सुनवाई का वृत

मेसर्स कुमार नागेन्द्र, 15 मदर टरेसा मार्ग, नार्थ कृष्णापुरी, पटना, द्वारा गया जिला के **अंचल– कोतवाली (चन्दौती), गया फल्गु–10 बालू घाट**, ग्राम–रामशिला, फल्गु नदी का क्षेत्रफल–61.7 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक–**23.09.2020** को अपराहन् 02.30 बजे नगर ब्लॉक, चन्दौती, जिला–गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1037/2020, दिनांक–21.07.2020 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक– **22.08.2020** द्वारा प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान **श्री ए. के. गुप्ता**, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बालू उत्खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था, सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होना अनिवार्य है। अतः किसी प्रकार का अवैज्ञानिक खनन व उसके दुष्परिणामों की सम्भावना लगभग शून्य है। इस परियोजना में करीब 650 पौधों का रोपण तथा उनका रख–रखाव भी सम्भावित है। परियोजना में कम–से–कम 30 श्रमिकों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती में प्राथमिकता स्थानीय लोंगो को ही दी जायेगी। खनन क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा में खनन निषेध क्षेत्र रहेगा तथा खनन बेंच बनाकर ही किया जायेगा जिसकी उँचाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर होगी। धूल-कण को कम करने हेतु जल का छिड़काव टैंकरों द्वारा किया जायेगा। प्रदूषण मुक्त वाहनों की नियमित गति सीमा में खनन क्षेत्र में प्रवेश व निकासी की अनुमति होगी। रात्रि समय में केवल क्षेत्र के बाहर एकत्रित किया गया खनिज ही केवल निर्गत किया जायेगा तथा खनन कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। ढूलाई मार्ग और निकास मार्ग का रख–रखाव प्राथमिकता पर होगा। खनन क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे निकास मार्ग, खनन कार्य क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी पट्ट जिनपर आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सेवाओं के मो0नं0 भी उल्लेखित होंगे इससे किसी भी अनदेखी आपदा से निपटना आसान होगा।

अपर समाहर्ता (राजस्व), गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। बालू विकास के लिए एक मुख्य घटक होता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर

जानते है। जनता अपनी बात को रखें। जनता का शंका का समाधान होना चाहिए, आपके सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है। आपके द्वारा दिये गये सुझाव को सक्षम पदाधिकारी के अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जायेगी।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:–

1. श्री श्रीकांत कुमार, पिता–श्री रामदहिन प्रसाद, ग्राम–कंडी नवादा, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन क्षेत्र से बाहर खाली जगहों में वृक्षारोपण हो तथा बालू ढूलाई वाहनों का ढक कर आवागमन कराया जाय जिससे कि धूल–कण ना फैले।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि ग्राम वासियों के आपसी सहमति से खनन क्षेत्र में न्यूनतम 600 पेड लगाये जायेगें तथा वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ढूलाई करायी जायेगी। पानी का छिड़काव दिन में कम–से–कम तीन बार किया जायेगा।

2. श्री अभिनव कुमार, पिता–श्री शिवकुमार सिंह, ग्राम–कंडी नवादा, जिला–गया द्वारा पूछा गया कि नदी से हमारे खेत का स्तर उपर है इसलिए पानी हमारे खेत में नहीं टिकता है। अतः ट्यूबवेल अथवा नहर द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाय।

उत्तर– पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि कृषि भूमि का पट्टा नहीं होता है। नदी के कटाव के कारण खेत का स्तर उँचा हुआ होगा। पानी की व्यवस्था कृषि विभाग या सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगर ऐसी समस्या है तो सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान कराया जायेगा। खनन नियमावली का उल्लंघन पाये जाने पर लीज धारक के विरूद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जायेगी।

3. श्री सिंकु कुमार, पिता–श्री रामाधार शर्मा, ग्राम–रामशिला, जिला–गया द्वारा बताया गया कि वे दिल्ली में कपड़ा मिल में काम करते थे। उन्हें बालू घाट से रोजगार की उपलब्धि कराया जाय।

उत्तर– बालू घाट के पट्टाधारक द्वारा इनकी बातों को भावना पूर्वक समझकर इनको काम देने का वादा किया और कहा कि जिस प्रकार के कार्य में कुशल होगें उसी तरह का कार्य सुपूर्द किया जायेगा।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ–ही–साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय

आने–जाने के समय या भीड़–भाड़ होने के दौरान बालू की ढूलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगें एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2–3 मी0. ही की जायेगी। उन्होने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी	**अपर समाहर्ता (राजस्व)**
बि0.रा0.प्र0.नि0.पर्षद, गया।	**गया**

उपस्थिति सूची

मे० कुमार नागेन्द्र, 15 मदर टरेसा मार्ग, नार्थ कृष्णापुरी, जिला–पटना द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल–कोतवाली (चन्दौती) के फल्गु नदी पर घाट–10 से बालू खनन करने हेतु नगर ब्लॉक, चन्दौती, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 23.09.2020 (बुधवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मनोज कुमार	अपर समाहर्ता, गया	[signature] 23/9/2020
2.	आशीष कुमार गुप्ता क्षेत्रीय पदाधिकारी	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 23-9-20
3.	डा० घनश्याम झा स०नि०, खा० एवं भू०,गया	मोहनपुर, गया	[signature] 23.09.20
4.	[illegible] स० पर्यावरण अभियंता	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 23.9.20
5.	Dr. Jatin K. Srivastava Consultant	B-215, Rajaji Puram Lucknow	[signature] 23/09/2020
6.	Jyotish Kumar	vill- Ramshila	[signature]
7.	Kumar Nagendra	Sri Puri Patna.	[signature]
8.	Munna kumar	Ramshila hap	[signature]
9.	Umendes	Kendimadal.	[signature]
10.	राजु कुमार	मोहनपुर, गया	राजु कुमार
11.	BK Singh	Lucknow	BK Singh
12.	साधु यादव	राम शीला	साधु यादव
13.	गोरख शर्मा	राम शीला	गोरख शर्मा
14.	प्रभु चौहान	राम शीला	प्रभु चौहान